

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

17/11/24
21/6/24

संख्या : 1499 / स्था0 / वा0स्था0अधि0 / भू0खनि0निदे0 / 2024-25

दिनांक 21 जून, 2024

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी, (ई-रवन्ना),
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

विषय :-


भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड में कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश से सम्बन्धित सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017' एवं उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06.02.2018 द्वारा घोषित वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान है। शासन द्वारा घोषित वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के क्रम में निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 1409/स्था0/स्थानान्तरण/भू0खनि0निदेशा0/2024-25 दिनांक 14 जून, 2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड में कार्यरत 02 कार्मिकों के स्थानान्तरण किये गये हैं, जिसकी सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(एच0डी0 चमोली)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/
प्रभारी अधिकारी स्थापना
कृते-निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 1409/स्था0/स्थानान्तरण/भू0खनि0निदेशा0/2024-25

दिनांक 14 जून, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017', उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक 08 फरवरी, 2018 द्वारा घोषित वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183994/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 23 जनवरी, 2024 एवं शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या 1145/स्था0/वा0स्था0अधि0/भू0खनि0निदे0/2024-25 दिनांक 04.06.2024 के द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 07.06.2024 की संस्तुतियों के आधार पर विभाग में कार्यरत कार्मिकों को निम्नानुसार तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरण किया जाता है।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	कार्यालय जहां तैनाती की जा रही है
01	श्री राजेश कुमार यादव, खनिज मोहर्रिर	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चमोली।
02	श्री विजय सिंह, खनिज मोहर्रिर	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चम्पावत।

उपरोक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर योगदान आख्या सम्बन्धित जिला खान अधिकारी/प्रभारी जिला खान अधिकारी को इस कार्यालय आदेश के प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेखा)
निदेशक
14/6/24

संख्या 1409/स्था0/स्थानान्तरण/भू0खनि0निदेशा0/2024-25

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/चमोली/चम्पावत।
4. संयुक्त निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिला खान अधिकारी/प्रभारी जिला खान अधिकारी, जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार/चमोली/चम्पावत।
6. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून।
7. सम्बन्धित कर्मचारी नाम से।
8. सम्बन्धित कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
9. गार्ड फाईल।

(राजपाल लेखा)
निदेशक
14/6/24